

कार्यालय आयुक्त,  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर  
दूरभाष +919068881356  
निविदा सूचना

पत्रांक 1020/L/सां0 अनुभाग/निविदा विज्ञा0/कृ0ग0र/2025-26 दिनांक 21.8- ,2025

उत्तराखण्ड राज्य में गन्ना की फसल में प्रयोग होने वाले कृषि रक्षा रसायनों, जैविक उत्पादों की खरीद किये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के अन्तर्गत निविदाएं आमंत्रित की जाती है। उक्त सम्बन्ध में दर अनुबन्ध से सम्बन्धित नियम-शर्तें तथा निविदा फार्म विभागीय वेबसाइट [www.sugarcane.uk.gov.in](http://www.sugarcane.uk.gov.in) से दिनांक 23 अगस्त, 2025 से दिनांक 05 सितम्बर, 2025 तक डाउनलोड किये जा सकते हैं, जिनका निर्धारित शुल्क बैंक ड्राफ्ट के द्वारा ही जमा किया जायेगा।

दिनांक 05 सितम्बर, 2025 के पश्चात् की तिथि के बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं होंगे। मोहर बन्द दर प्रस्ताव/कोटेशन प्रपत्र दिनांक 06 सितम्बर, 2025 को दोपहर 11:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे एवं उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे क्रय समिति (निविदा संवीक्षा समिति) के सम्मुख खोले जायेंगे। किसी दर प्रस्ताव/कोटेशन अथवा उसके किसी भाग को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार समिति को होगा।

  
अपर आयुक्त,  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,  
उत्तराखण्ड

**—: नियम एवं शर्तें —:**

सभी दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले ख्याति प्राप्त विनिर्माणा ईकाईयों एवं उनके अधीन पंजीकृत आपूर्ति कर्ता फार्मों से बीज उपचारक/कीटनाशक/खरपतवारनाशक (निम्नांकित सूची के अनुसार) कृषि रक्षा रसायनों के लिए दर संविदा निविदा प्रपत्र मूल्य रू0 2000.00 (दो हजार रू0) + जी0एस0टी0 रू0 360.00 (रूपये तीन सौ साठ) कुल रूपये 2360.00 (रूपये दो हजार तीन सौ साठ) मात्र निर्धारित शुल्क देय अनिवार्य होगा। निविदा पत्र दिनांक 23 अगस्त, 2025 से विभागीय वेबसाइट [www.sugarcaneuk.in](http://www.sugarcaneuk.in) द्वारा डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं। उक्त दर प्रस्ताव निविदा शुल्क केवल बैंक ड्राफ्ट से ही स्वीकार किया जाएगा। जो संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उत्तराखण्ड के नाम से काशीपुर में देय होगा तथा बैंक ड्राफ्ट दिनांक 23 अगस्त, 2025 से दिनांक 05 सितम्बर, 2025 तक की अवधि के बने हो, मान्य होंगे। इसके पश्चात की तिथि के बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

दर प्रस्ताव दो भागों में स्वीकार किये जायेंगे।

1. प्रथम भाग में तकनीकी प्रपत्र (Technical Bid)।

2. द्वितीय भाग में वित्तीय प्रपत्र (Financial Bid)।

उक्त दोनों प्रकार के प्रपत्र अलग-अलग पैकेटों में सील करके एक तीसरे लिफाफे में सील बन्द कर दर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जायेंगे। प्रत्येक लिफाफे के ऊपर उस बीज उपचारक दवा/कीटनाशक/खरपतवारनाशक दवा का नाम एवं फर्म का नाम अंकित किया जाये, जिसका दर प्रस्ताव दिया गया है। दर प्रस्ताव दिनांक 06 सितम्बर, 2025 को पूर्वान्ह 11:00 बजे तक प्राप्त किये जायेंगे तथा उसी दिन अपरान्ह 12:00 बजे केन्द्रीय क्रय समिति (निविदा संवीक्षा समिति) के सम्मुख खोले जायेंगे।

1. सभी दर प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली ख्याति प्राप्त विनिर्माता फर्म एवं फर्मों के पंजीकृत आपूर्तिकर्ता विभाग द्वारा दर प्रस्ताव निविदा प्रपत्र मुख्यालय से दिनांक 23 अगस्त, 2025 से दिनांक 05 सितम्बर, 2025 अथवा विभागीय वेबसाइट [www.sugarcaneuk.in](http://www.sugarcaneuk.in) से भी डाउनलोड कर प्राप्त किये जा सकते हैं।
2. सर्वप्रथम तकनीक प्रपत्र (Technical Bid) खोले जायेंगे। तकनीकी निविदा में सफल विनिर्माणित ईकाईयों व उनके अधीन पंजीकृत फर्मों के ही वित्तीय निविदा प्रपत्र (Financial Bid) खोले जायेंगे।
3. दर प्रस्ताव ख्याति प्राप्त विनिर्माणित ईकाईयों व उनके पंजीकृत आपूर्ति कर्ताओं से ही स्वीकार्य की जायेगी। इस प्रयोजन हेतु निर्माता फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधियों के प्रतिभाग किये जाने सम्बन्धी नोटरी द्वारा सत्यापित शपथ पत्र की मूल प्रति संलग्न किया जाना आवश्यक है। अनाधिकृत डीलर द्वारा दिये गये प्रस्ताव स्वीकार्य नहीं होंगे।
4. केवल उन्हीं फर्मों की दर प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जायेगा जिनके प्रस्ताव के साथ फर्म को रसायन हेतु प्रदत्त आई0एस0आई0/आई0एस0ओ0 तथा टैक्नीकल ग्रेड विनिर्माण हेतु प्रदत्त वैध विनिर्माण लाईसेंस की प्रमाणित छायाप्रति संलग्न की गयी हो, इसके अभाव में प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया जायेगा।
5. निविदादाता/फर्म द्वारा तकनीकी ग्रेड मूल उत्पादन एवं वार्षिक टर्न ओवर न्यूनतम रू0 03 करोड़ का प्रमाण पत्र उत्पाद के क्षेत्र में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। इसके लिए विगत वित्तीय वर्ष की ऑडिटेड बैलेन्सशीट एवं ट्रेडिंग अकाउंट चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी0ए0) द्वारा प्रमाणित किया गया पत्र संलग्न करना होगा।
6. यदि कोई कीटनाशक दवाओं का भारत में उत्पादन न होता है और आयात की जाती हो। तो वैध आयात प्रमाण पत्र के साथ यह शपथ पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा कि संबंधित तकनीकी ग्रेड भारत में उत्पादित नहीं है। यह शपथ पत्र रू0 100 के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा, कि उक्त टैक्नीकल का निर्माण भारत में नहीं होता है।
7. धरोहर धनराशि (EMD) के रूप में रू0 50,000.00 मूल्य का डिमाण्ड ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक, बैंक गारण्टी जैसा भी सक्षमप्राधिकारी की संतुष्टी तथा क्रेता के हितों को सभी प्रकार से सुरक्षा के लिए आवश्यक हो को जमा किये जा सकते हैं। धरोहर राशि सामान्यतः वैध निविदा की अन्तिम तिथि के पश्चात 45 दिन की होगी जो आवश्यकतानुसार बढ़ाया/घटाया जा सकता है।
8. जिन फर्मों का दर प्रस्ताव स्वीकृत होगा उनकी कार्यपूर्ति धरोहर राशि जमा कर ली जायेगी। जिसमें बीज उपचारक/कीटनाशक कृषि रसायनों हेतु प्रति रसायन रू0 50,000.00/- (पचास हजार रूपये) मात्र की धरोहर धनराशि का राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट बनवाकर जो संयुक्त गन्ना एवं चीनी आयुक्त, काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) के नाम काशीपुर में देय होगा, तकनीकी प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा। काशीपुर (ऊधमसिंह नगर) से बाहर के देय बैंक ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जायेगा। बैंक ड्राफ्ट संलग्न न होने की दशा में प्रस्ताव निरस्त होगा। तथा शेष की धरोहर राशि नियमानुसार वापस कर दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय न होगा।
9. उत्तराखण्ड राज्य की सहकारी गन्ना विकास समितियों के माध्यम से कृषि रसायनों को क्रय कर गन्ना कृषकों को उपलब्ध कराया जायेगा।
10. बीज उपचारक, भूमि उपचारक/कीटनाशक कृषि रसायनों एवं अन्य के आपूर्ति आदेश केन्द्रीयकृत न होकर गन्ना समितियों के माध्यम से क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुसार गन्ना समितियों द्वारा दिये जायेंगे।

11. दर प्रस्ताव प्रपत्र की सभी प्रविष्टियां स्पष्ट एवं पठनीय रूप में भरी जायेगी।
12. आपूर्ति आदेश में उल्लेखित समय सीमा के अन्दर कृषि रक्षा रसायनों/जैविक उत्पाद की आपूर्ति करनी होगी। निर्धारित समय सीमा के पश्चात आपूर्ति आदेश स्वतः ही निरस्त समझे जायेंगे।
13. कृषि रसायनों की दरें सभी टैक्सों सहित उत्तराखण्ड राज्य की सभी गन्ना समितियों के गोदाम तक पहुंचाने की शर्तों सहित अंकित की जायेगी। आपूर्तित उत्पाद के साथ Goods & Service Tax (GST) का बीजक E-Waybill के साथ आपूर्ति प्राप्त कर्ता कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
14. कृषि रसायन के आपूर्ति, आदेश में दी गई निर्धारित तिथि के अन्दर एफ0ओ0आर0 डेस्टीनेशन तक अर्थात् गन्ना समिति के गोदाम तक करनी होगी।
15. प्रस्ताव कर्ता फर्मों द्वारा Goods & Services Tax (GST) पंजीकरण का विवरण अंकित होना अनिवार्य होगा, जिसका प्रमाण पत्र भी संलग्न किया जाये।
16. विगत एक वर्ष में निर्माता फर्म द्वारा कम से कम 25.00 लाख की धनराशि की कृषि रसायन किसी भी राज्य सरकार/केन्द्र सरकार/सहकारी संस्था अथवा फेडरेशन को वितरित की गई हों, उक्त का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य है।
17. फर्म द्वारा कृषि रसायनों की पैकिंग पर बैच संख्या एवं कालातीत होने की तिथि (एक्सपायरी तिथि) का विवरण नियमानुसार अंकित किया जायेगा, साथ ही कृषि रसायन आपूर्ति सम्बन्धी चालान एवं बिल का भी कृषि रसायनों की एक्सपायरी होने की तिथि अनिवार्य रूप से अंकित करने के साथ वांछित प्रमाण पत्र अनिवार्यता प्रस्तुत करना होगा।
18. कृषि रसायन प्राप्त होने पर प्रत्येक कृषि रसायन का बैचवार/लाटवार डेस्टीनेशन नमूना आहरण करते हुए विश्लेषण की कार्यवाही की जायेगी। विश्लेषण शुल्क एवं कृषि रसायन के नमूने की मात्रा का मूल्य आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा वहन किया जायेगा।
19. सम्बन्धित फर्मों द्वारा राज्य के अन्य विभागों को अपने उत्पादों की आपूर्ति की गई तो सम्बन्धित विभाग द्वारा फर्म द्वारा उत्पाद की आपूर्ति एवं गुणवत्ता का संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
20. चयनित फर्म द्वारा अपने उत्पादों की आपूर्ति हेतु प्रतिबन्ध यह होगा कि सम्बन्धित उत्पाद आपूर्ति के दिवस को 1 वर्ष बँध हो अर्थात् आपूर्ति तिथि से उत्पाद की अवसान तिथि कम से कम 1 वर्ष बची हो। चयनित फर्म द्वारा उक्त प्रतिबन्ध का उल्लंघन किये जाने की दशा में न तो उक्त आपूर्ति उत्पाद का भुगतान नहीं किया जायेगा तथा फर्म को Black List (काली सूची) में किये जाने की कार्यवाही कर दी जायेगी।
21. कीटनाशक अधिनियम, 1968 के अन्तर्गत रसायन का बैच/लॉट डिस्टीनेशन नमूना आहरण किया जायेगा और यदि विश्लेषण में कृषि रसायन अधोमानक/मिस ब्राण्डेड पाए जाते हैं, तो सम्पूर्ण आपूर्ति उत्पाद को फर्म को वापस लेना होगा तथा वापसी की स्थिति में होने वाले मार्ग व्यय की प्रतिपूर्ति भी फर्म द्वारा स्वयं वहन की जायेगी। कृषि रसायन का भुगतान डिस्टीनेशन नमूने अर्थात् विश्लेषण रिपोर्ट में मनक अनुरूप पाए जाने के उपरान्त ही किया जायेगा।
22. क्रय किये गये कृषि रसायनों के अवशेष रहने की दशा में कालातीत अवधि से 3 माह पूर्व क्रेता गन्ना समिति द्वारा आपूर्तिकर्ता फर्म को अवशेष कृषि रसायन की मात्रा की सूचना प्रेषित की जायेगी तथा फर्म के प्रत्येक क्रय आदेश के सापेक्ष आपूर्तित मात्रा की 25 प्रतिशत मात्रा का फ्री रिप्लेसमेन्ट करना अनिवार्य होगा।
23. फर्म को कृषि रसायन की प्रत्येक पैकिंग के साथ कृषि रसायन के प्रयोग सम्बन्धी दिशा-निर्देश हिन्दी/अंग्रेजी भाषा में छपा हुआ साहित्य/लीफलेट उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
24. यदि किसी कृषि रसायन को केन्द्र सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रतिबन्धित किया जाता है तो उक्त दर अनुबन्ध स्वयं ही समाप्त हो जायेगा।
25. विभागाध्यक्ष/आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर को किसी एक या सभी दर प्रस्तावों को बिना कारण बताए अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार होगा।
26. विभाग तथा आपूर्तिकर्ता फर्म के बीच किसी प्रकार का विवाद होने की दशा में अन्तिम निर्णय का अधिकार विभागाध्यक्ष/आयुक्त, गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड, काशीपुर का होगा। किसी भी विधिक विवाद के निपटारे का कार्यक्षेत्र स्थानीय जनपद न्यायालय होगा, तथा न्यायालय का फैसला अन्तिम होगा।
27. फर्म द्वारा दर प्रस्ताव में अंकित दरों के अनुमोदित होने पर यह दरें दिनांक 30.06.2026 तक के लिये वैध मानी जायेगी।
28. विभाग के लिए यह आवश्यक नहीं है कि, वह न्यूनतम दरों पर क्रय स्वीकार करे, कृषि रसायनों की दरों पर निर्णय लेते समय प्रस्तुतकर्ता फर्म की गुणवत्ता, मेक, ट्रेड, नेम व किसान की माँग व सभी पूर्ण अनुभवों आदि के आधार पर कृषि रसायन क्रय समिति विचार कर सकती है।
29. किसी भी क्रय आदेश के सापेक्ष पार्ट आपूर्ति नहीं ली जायेगी।
30. प्रस्ताव बन्द व खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाश घोषित हो जाता है। तो ऐसी दशा में प्रस्ताव को बन्द व खोलने की तिथि हेतु अगला कार्यदिवस निर्धारित होना समझा जायें।

31. एगो फोर्स मेजर क्लाज किसी एक अप्रत्यक्ष रूप से घटना घटित होने के कारण जिसमें आपूर्ति बाधित हो सकती है। जैसे युद्ध, शासकीय शोक, दुर्घटना हड़ताल, लाक आउट आदि होने पर इस हेतु आपूर्ति कर्ता फर्म द्वारा इंगित परिस्थिति/परिस्थितियाँ उत्पन्न होने की स्थिति में एक सप्ताह के भीतर क्रेता को प्रमाण पत्र सहित लिखित रूप में सूचित करना अनिवार्य होगा। उक्त दशा में यदि कार्य प्रभावित होता है तो क्रेता 60 दिन के बाद अनुबन्ध निरस्त कर देगे। सशर्त दी गई दर प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।
32. दर प्रस्ताव के वित्तीय प्रपत्र (Financial Bid) भाग 2 पर आइटम वाइज/पैकिंग वाइज दरें अंकित की जायेगी। पैकिंग वही स्वीकार्य होगी जो पत्र के साथ सूचित की गई है। अंशतः या अधूरी दरें स्वीकार नहीं की जायेगी। बेसिक मूल्य के साथ विभिन्न दरों करों का विवरण भी दिया जायेगा। कृषि रसायन का प्रति ली० या किग्रा मूल्य वित्तीय दर प्रस्ताव में अंकित करना अनिवार्य होगा अन्यथा दर प्रस्ताव निरस्त कर दी जायेगी। सूचित सैल्फ लाईफ ही स्वीकार्य होगी।
33. प्रस्तावदाता प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न में अंकित पैकिंगों के अनुसार अथवा फर्म द्वारा विनिर्मित इन पैकिंगों के समतुल्य क्षमता की पैकिंगों में ही दरें अंकित करे ऐसा न करने पर दर प्रस्ताव निरस्त कर दी जायेगी। विभाग को कृषि रसायनवार वांछित पैकिंगों का विवरण प्रस्ताव प्रपत्र के साथ संलग्न किया गया है।
34. तकनीकी दर प्रस्ताव प्रपत्र भाग-1 के साथ प्रस्तुत किये जाने वाले सभी प्रमाण पठनीय होने नितान्त आवश्यक है साथ ही फर्म के सभी डाक्यूमेन्ट्स को फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर अथवा अधिकृत अधिकारी द्वारा सील सहित प्रतिहस्ताक्षरित (Counter Signature) कर दर प्रस्ताव करना अनिवार्य होगा। अन्यथा प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।
35. प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाली सरकारी/सार्वजनिक उपक्रम की फर्म को भी प्रस्ताव की सभी शर्तों का शत प्रतिशत पालन करना अनिवार्य होगा ऐसा न करने पर प्रस्ताव निरस्त कर दिया जायेगा।
36. राज्य की गन्ना समितियों के द्वारा कृषि रसायन क्रय किये जाने हैं, दर अनुबन्ध द्वारा राजकीय खरीद नहीं की जा रही है।
37. प्रस्ताव प्रपत्र डाक द्वारा स्वीकार्य नहीं होगा।
38. विनिर्माता/अधिकृत फर्म को स्वयं बिल देना होगा। इस बिल को Goods & Services Tax (GST) के नियमों के अन्तर्गत प्रेषित किया जायेगा। रसायन का भुगतान सम्बन्धित सहकारी गन्ना विकास समिति द्वारा सीधे फर्म/अधिकृत आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा।
39. फर्म द्वारा आपूर्ति कृषि रसायन के दो या दो से अधिक बैच अधोमानक होने पर एवं आपूर्ति आदेश के सापेक्ष यथासमय आपूर्ति न करने पर फर्म को काली सूची (Black List) में डाला जा सकता है।
40. दर अनुबन्ध समय सीमा समाप्त होने के तीन माह पश्चात फर्म के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त न होने पर धरोहर राशि दर प्रस्ताव/कोटेशन को वापस की जायेगी।
41. दर प्रस्ताव में प्रस्तुत दरें राज्य में अन्य संस्थाओं को समान शर्तों पर कम दर पर दी गई होगी तो स्वीकृत दर भी रद्द कर दी जायेगी।
42. यदि फर्म भारत में किसी रसायन विशेष के लिए एकल टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता हो तो मूल विनिर्माता फर्म को रू० 100 के स्टाम्प पेपर पर अकेली टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता फर्म होने का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र फर्म प्रबन्ध निदेशक या फर्म के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किया जायेगा। फर्म द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि/दर प्रस्ताव दाता द्वारा स्वयं शपथ पत्र किसी भी दशा में मान्य नहीं होगा।
43. दर प्रस्ताव/निविदा डाले जाने के बाद कोई भी सम्बन्धित प्रमाण पत्र बाद में नहीं लिया जायेगा।
44. अन्य जानकारी हेतु दूरभाष सं० +919068881356 पर या कार्यालय से कार्य दिवस में सम्पर्क करें।

ASD  
ACC CHS  
21/8/22

अपरे आयुक्त,  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग,  
उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त,  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,  
बाजपुर रोड, काशीपुर  
मोबाइल नम्बर – +919068881356

दर प्रस्ताव निविदा प्रपत्र तकनीकी  
भाग – एक  
(निविदा सील बन्द लिफाफे में बन्द कर डाली जाय)  
(जैविक उत्पाद/माक्रोन्यूट्रेंट्स)

|     |                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.  | उत्पादक फर्म का नाम व पूरा पता, फैक्स/फोन न0 आदि सहित                                                                                                                                                   |  |
| 2.  | उत्पादक फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नाम                                                                                                                                                           |  |
| 3.  | निविदादाता फर्म                                                                                                                                                                                         |  |
| 4.  | आपूर्ति हेतु उत्पाद का नाम                                                                                                                                                                              |  |
| 5.  | उत्पाद का व्यापारिक नाम                                                                                                                                                                                 |  |
| 6.  | कच्चे माल की प्राप्ति का श्रोत                                                                                                                                                                          |  |
| 7.  | उत्पाद की सेल्फ लाईफ का विवरण:-<br>(1 वर्ष 2 वर्ष या इससे अधिक जैसी स्थिति हो अंकित की जाय)                                                                                                             |  |
| 8.  | धरोहर राशि का विवरण (संलग्नक-1)<br>(क) फर्म का नाम<br>(ख) राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम<br>(ग) बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैकर्स चैक, बैंक गारण्टी, संख्या तथा दिनांक<br>(घ) बैंक ड्राफ्ट की धनराशि (रु0) |  |
| 9.  | उत्पादन की आपूर्ति प्रदेश में स्थापित डिपो से करेंगे या प्रदेश के बाहर के डिपो से डिपो का नाम व पूरा डाक पता अंकित किया जायेगा                                                                          |  |
| 10. | उत्पाद के मानक स्तर का विवरण                                                                                                                                                                            |  |
| 11. | उद्योग विभाग के वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण (संलग्नक-2)                                                                                                                                            |  |
| 12. | राज्य का वैध विनिर्माण लाईसेंस का विवरण (संलग्नक-3)<br>1. लाईसेंस संख्या<br>2. अन्तिम वैधता दिनांक<br>(माइक्रोन्यूट्रेंट्स, फर्टीलाइजर हेतु)                                                            |  |
| 13. | उत्तराखण्ड कृषि विभाग का स्वीकृति पत्र (संलग्नक-4)<br>(माइक्रोन्यूट्रेंट्स फर्टीलाइजर हेतु )                                                                                                            |  |
| 14. | उत्तराखण्ड राज्य में जी0एस0टी0 पंजीकरण प्रमाण पत्र (संलग्नक-5)                                                                                                                                          |  |
| 15. | उद्योग विभाग से निर्गत वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र का विवरण (संलग्नक-6)<br>(पंजीयन प्रमाणपत्र में उत्पाद का उल्लेख होना अनिवार्य है।)                                                                       |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 16. | (अ) इक्साइज विभाग का पंजीकरण यदि आवश्यक हो तो<br>(ब) यदि अवमुक्त है, तो उसका सत्यापित प्रमाण पत्र/किलियरेन्स प्रमाण पत्र (संलग्नक-7)                                                                                       |  |
| 17. | यदि फर्म द्वारा राज्य के अन्य विभागों को अपने उत्पादों की आपूर्ति की गई हो तो सम्बन्धित विभागों द्वारा फर्म द्वारा उत्पाद की आपूर्ति एवं गुणवत्ता का संतुष्टि प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।(संलग्नक-8)     |  |
| 18. | क्या विनिर्माता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, अथवा नहीं, फर्म के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, इस आशय से 100 रु0 मूल्य का नोटरी सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। |  |
| 19. | उत्पाद में सम्मिलित तत्वों की तत्ववार न्यूनतम प्रतिशत मात्रा विवरण (संलग्नक-9)<br>(किसी भी टेस्ट रिपोर्ट की जो निकटतम माह की हो प्रति लगायें)                                                                              |  |
| 20. | फर्म का वार्षिक टर्न ओवर से सम्बन्धित सी0ए0 द्वारा प्रमाणित विगत वर्ष की बैलेंस शीट उपलब्ध करवानी होगी                                                                                                                     |  |
|     | मूल उत्पादन एवं वार्षिक टर्न ओवर सम्बंधी नोटरी शपथ पत्र में उल्लेखित किया गया जायेगा।(संलग्नक-10)<br>(आडिटेड बैलेंसशीट एवं ट्रेडिंग एकाउन्ट प्रपत्र संलग्न करें)                                                           |  |

नोट :-

1. प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रतियां उपरोक्त दिये गये क्रमों में ही संलग्न की जाए।
2. प्रस्ताव के सीलबन्द लिफाफे पर दाहिनी ओर विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित निविदा क्रमांक अंकित किया जाए।

#### निर्धारित निविदा शर्तों पर सहमति

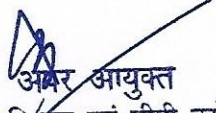
मेरे द्वारा निविदा प्रस्ताव/शर्तें 1 से 44 तक संलग्नक है, मेरे द्वारा पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ।

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

पता.....

फोन/मोबाइल नं0.....

मोहर/सील.....

  
 आनुराग आयुक्त  
 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग  
 उत्तराखण्ड

कार्यालय आयुक्त,  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,  
बाजपुर रोड, काशीपुर  
दूरभाष- +919068881356

दर प्रस्ताव निविदा प्रपत्र तकनीकी  
भाग - एक  
(निविदा सील बन्द लिफाफे में बन्द कर डाली जाय)  
(कृषि रासायन)

|     |                                                                                                                                                                                                         |  |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 1.  | टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता फर्म का नाम व पूरा पता<br>फोन/मोबाइल न0 आदि सहित                                                                                                                              |  |
| 2.  | टेक्निकल ग्रेड विनिर्माता फर्म के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक का नाम                                                                                                                                         |  |
| 3.  | धरोहर राशि का विवरण (संलग्नक-1)<br>1. फर्म का नाम<br>2. राष्ट्रीयकृत बैंक का नाम<br>3. बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा रसीद, बैंकर्स चैक,<br>बैंक गारण्टी, संख्या तथा दिनांक<br>4. बैंक ड्राफ्ट की धनराशि (रु0) |  |
| 4.  | टेक्नीकल निर्माता एवं वार्षिक टर्न ओवर सम्बन्धी शपथ पत्र<br>(संलग्नक-2)                                                                                                                                 |  |
| 5.  | (क). आपूर्ति हेतु रसायन/आइटम का टेक्निकल नाम<br>(ख). रसायन का व्यापारिक नाम                                                                                                                             |  |
| 6.  | टेक्निकल ग्रेड विनिर्माण लाईसेन्स का विवरण (संलग्नक-3)<br>1. लाईसेन्स संख्या<br>2. फैक्ट्री जहाँ स्थित है, राज्य स्थान                                                                                  |  |
| 7.  | रसायन के मानक स्तर का विवरण (संलग्नक-4) :-<br>आई0एस0आई0<br>(क). अधिकृत मार्क<br>(ख). अधिकृत मार्क की संख्या<br>(ग). अधिकृत मार्क की वैधता तिथि<br>(घ). एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रमाण पत्र तथा वैधता की तिथि |  |
| 8.  | रसायन का सी0आई0बी0 पंजीकरण विवरण (संलग्नक-5)<br>1. पंजीकरण संख्या<br>2. पंजीकरण दिनांक                                                                                                                  |  |
| 9.  | रसायन की सेल्फ लाईफ का विवरण<br>(1 वर्ष 2 वर्ष या इससे अधिक जैसी स्थिति हो अंकित की जाय)                                                                                                                |  |
| 10. | आयकर विभाग का पैन नम्बर/पंजीयन संख्या (संलग्नक-6)                                                                                                                                                       |  |

|     |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11. | केन्द्र सरकार में जी0एस0टी0 की पंजीयन सं0 (संलग्नक-7)<br>(अनिवार्य है)                                                                                                                                                     |  |
| 12. | उद्योग विभाग से वैध पंजीयन प्रमाण पत्र का विवरण<br>(संलग्नक-8)                                                                                                                                                             |  |
| 13. | क्या विनिर्माता फर्म को कभी ब्लैक लिस्ट किया गया है, अथवा नहीं, फर्म के विरुद्ध किसी प्रदेश में आपूर्ति विषयक कोई विवाद/विधिक कार्यवाही चल रही है/लम्बित है, इस आशय से 100 रु0 मूल्य का नोटरी सपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। |  |
| 14. | फर्म का वार्षिक टर्न ओवर (संलग्नक-9)<br>(आडिटेड बैलेसशीट एवं ट्रेडिंग एकाउन्ट प्रपत्र संलग्न करें)                                                                                                                         |  |
| 15. | कृषि विभाग उत्तराखण्ड द्वारा उत्तराखण्ड में रसायन के उपयोग हेतु स्वीकृति प्रमाण पत्र (संलग्नक-10)                                                                                                                          |  |

**नोट :-**

1. प्रत्येक बिन्दु से सम्बन्धित प्रमाण पत्रों/अभिलेखों की प्रतियाँ उपरोक्त दिये गये क्रमों में ही संलग्न की जायें।
3. प्रस्ताव के सीलबन्द लिफाफे पर दाहिनी ओर विज्ञप्ति के अनुसार निर्धारित निविदा अंकित किया जायें।

**निर्धारित दर प्रस्ताव/कोटेशन शर्तों पर सहमति**

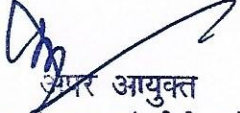
मेरे द्वारा निविदा प्रस्ताव/शर्तें 1 से 44 तक संलग्नक है, भली-भाँति पढ़ ली गयी है तथा मैं सभी शर्तों से पूर्णतया: सहमत हूँ।

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर.....

पूरा पता.....

फोन/मोबाइल नं0.....

मोहर/सील.....

  
 उपर आशुक्त  
 गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग

कार्यालय आयुक्त,  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग, उत्तराखण्ड,  
बाजपुर रोड, काशीपुर (ऊधमसिंहनगर)

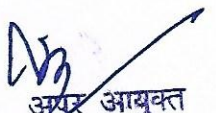
वित्तीय दर प्रस्ताव प्रपत्र भाग-दो

कृषि रक्षा की वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु फर्मवार, रसायनवार/उत्पादवार, पैकिंगवार दरों का विवरण  
(दर प्रस्ताव सील बन्द लिफाफे में बन्द कर डाली जायें)

| फर्म का नाम व<br>पूरा पता | रसायन का नाम/<br>उत्पाद का नाम |                                                                        | पैकिंग                  | पैकिंग<br>दर<br>जी० एस०<br>टी०<br>सहित | दर प्रति लीटर/किलोग्राम |               |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|
|                           |                                |                                                                        |                         |                                        | बेसिक<br>मूल्य          | जी०एस०<br>टी० | यूनिट कास्ट/<br>प्रति ली०/<br>कि०ग्रा० (5+6)<br>का योग |
| 1                         | 2                              |                                                                        | 3                       | 4                                      | 5                       | 6             | 7                                                      |
|                           | 1                              | क्लोरानट्रानिलिप्रोल 18.50% एस.सी.                                     | 150 एमएल                |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 2                              | क्लोरानट्रानिलिप्रोल 48.75% डब्लू/डब्लू एस.सी.                         | 50 एमएल                 |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 3                              | क्लोरानट्रानिलिप्रोल 0.4% जी.आर.                                       | 4 किग्रा                |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 4                              | फिप्रोनिल 5% एस.सी.                                                    | 500 एमएल                |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 5                              | फिप्रोनिल 0.3% जी.आर.                                                  | 5 कि०ग्राम              |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 6                              | इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एस.एल.                                            | 500 एमएल<br>/1 ली०      |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 7                              | फिप्रोनिल 40% + एमिडाक्लोप्रिड 40% डब्लू.जी.                           | 100 ग्राम               |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 8                              | प्रोपिकोनाजोल 25% ई.सी.                                                | 500 एमएल                |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 9                              | एजोक्सीस्ट्रोबिन 18.2% + डाइफेनोकोनाजोल 11.4% एस.सी.                   | 250 एमएल                |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 10                             | ट्राइकोडर्मा तरल ( $10^6$ cfu/ML)                                      | 500 एमएल<br>/1 ली०      |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 11                             | ट्राइकोडर्मा विरिडी पाउडर (1.5% WP cfu $2 \times 10^6$ /ग्राम)         | 500 ग्राम<br>/1 किग्रा० |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 12                             | स्यूडोमोनास तरल ( $1 \times 10^8$ cfu/ML)                              | 500 एमएल<br>/1 ली०      |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 13                             | स्यूडोमोनास फ्लूरोसेन्स पाउडर (1% WPcfu $1 \times 10^8$ /ग्राम)        | 500 ग्राम<br>/1 किग्रा० |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 14                             | बिवेरिया बेसियाना पाउडर (1.5% WP cfu $1 \times 10^8$ /ग्राम)           | 500 ग्राम<br>/1 किग्रा० |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 15                             | ग्लूओनोएसीटोबैक्टर डाईजोट्रोफिक्स दानेदार ( $5 \times 10^7$ cfu/ग्राम) | 4 कि०ग्राम              |                                        |                         |               |                                                        |
|                           | 16                             | वर्टिसिलियम क्लामाइडोस्पोरियम (1% WPcfu $1 \times 10^6$ /ग्राम)        | 500 ग्राम<br>/1 किग्रा० |                                        |                         |               |                                                        |

फर्म/फर्म के अधिकृत प्रतिनिधि/प्रस्तावकर्ता के हस्ताक्षर.....  
पूर्ण पता.....

फोन नम्बर.....  
मो० नम्बर.....  
मोहर/सील.....

  
आयुक्त  
गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग